सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–03 **बुधवार, दिनांक–23 जुलाई, 2025 ई०।**

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 11:24 बजे पूर्वा० तक

[1] आसन का संदेशः–

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यगण को अपनी पीड़ा एवं गहन वेदना से अवगत कराते हुए कहा गया कि कल इस सदन में जो दृश्य सामने आया, वह न केवल हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इस संस्था की गरिमा और गौरव को भी ठेस पहुँचाने वाला है।

विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, और उसकी अभिव्यक्ति का पूरा सम्मान इस पीठ ने सदा किया है। किंतु विरोध की भाषा यदि हिंसा, शोर, तोड़फोड़ और असंवेदनशील व्यवहार बन जाए, तो वह संविधान की आत्मा से विश्वासघात बन जाता है। कल की घटनाओं में सभा सचिवालय के कर्मचारियों को चोट पहुँची है ये वही लोग हैं जो वर्षों से निष्ठा से इस संस्था की सेवा करते आए हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह सदन विमर्श का मंच है, संघर्ष का नहीं; विचारों की टकराहट का स्थान है, हाथापाई का नहीं। यह वही सदन है जिसने बिहार की राजनीति को दिशा दी है, आदर्श स्थापित किए हैं। साथ ही माननीय सदस्यगण से निवेदन किया गया कि आइये, हम सब मिलकर इसकी गरिमा को पुनर्स्थापित करें।

तदुपरांत आसन की सहमति से माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन के समक्ष अपने पक्ष को रखा। उनके पक्ष रखने के कम में आसन द्वारा प्रेस दीर्घा के लोगों को निदेश दिया कि सदन में मोबाईल का इस्तेमाल न करे तथा मोबाईल से विडियों नहीं बनाये।

इसी बीच सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस विषय पर पक्ष रखा गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगो को लेकर शोरगुल करने लगे। आसन द्वारा बार–बार अनुरोध के उपरांत भी सदन में शांति कायम न हो सकी और सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिये स्थगित की गई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 2:58 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

(2) **विधायी कार्य** :–राजकीय विधेयक

(i) **बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025**

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्य को अपने–अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमण कर गये।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिंद्धात पर विमर्श का प्रस्ताव; श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) **बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025**

माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्रीमती रेणु देवी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिंद्धात पर विमर्श का प्रस्ताव; श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार पशु प्रजनन विनियमन विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) **जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025**

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिंद्धात पर विमर्श का प्रस्ताव; श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एव श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(v) बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(vi) कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिंद्धात पर विमर्श का प्रस्ताव; श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा एवं द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(3) सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:–

1. माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014; बिहार प्रमंडलीय राजभाषा संवर्ग नियमावली, 2014; बिहार प्रमण्डलीय राजभाषा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं बिहार राजभाषा प्रकाशन संवर्ग नियमावली, 2014 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
2. माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के नियम–30(3) के तहत "बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025" की हिन्दी एवं अंग्रजी की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
3. माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, डॉ० प्रेम कुमार द्वारा बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025; बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025; बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली, 2024 एवं बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

4. माननीय प्रभारी मंत्री, विधि विभाग, डॉ० प्रेम कुमार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा–18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2022–23 का वार्षिक लेखा की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
5. माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–16 (च) के तहत् बिहार राज्य खाद्य आयोग के 2024–25 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
6. माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री नीतीन नवीन द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।
7. माननीय प्रभारी मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 एवं 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
8. माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, श्री राजू कुमार सिंह द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2015–2016 का 35वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
9. माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 228वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(3) निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 60 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें।

तत्पश्चात् सभा की बृहस्पतिवार दिनांक–24 जुलाई, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–23.07.2025

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।